GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2434
TO BE ANSWERED ON 11th August, 2025

PENSION AND JOB OPPORTUNITIES TO THE EX-SERVICEMEN

2434 SHRI R. GIRIRAJAN:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government has taken appropriate steps to ensure adequate pension and job opportunities to the Ex-Servicemen in the country particularly in the State of Tamil Nadu;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total population of Ex-Servicemen in the country, State-wise; and

(d) whether Government has initiated any special recruitment for providing jobs to widows and children of Ex-Servicemen in the country, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b) The Government is providing adequate pension to the Ex-Servicemen in the country including Tamil Nadu as per extant rule. Additionally, the One Rank One Pension (OROP) scheme seeks to bridge the gap between the rates of pension of current and past pensioners retiring the same rank with the same length of service. Further, various Re-settlement/ Skill Development Training Courses, Employment and Self-Employment Schemes are being run by the Government to provide job opportunities to the Ex-Servicemen in Government Organizations, Public Sector Undertaking, Corporate Houses, Private Sector, Central Para Military Forces etc. based on their requisition for employment of ESM.

(c) The total population of Ex-servicemen in the country; State/UT wise details is enclosed as Annexure.

(d) The Government organizes the job fairs for Ex-servicemen across pan India in collaboration with confederation of Indian Industry (CII) and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and with the support of all the three Service Headquarters. It offers a direct interface between the employer and the prospective candidate that includes on the spot skill test, interview and employment by the Corporate sector.

…2/-

:_: www.staffnews.in :_:

Further, there is a reservation of 14.5% vacancies in Group ‘C’ and 24.5% vacancies in Group ‘D’ posts for Ex-servicemen in Central Public Sector Undertakings (CPSUs) and Public Sector Banks (PSBs). This includes 4.5% vacancies for disabled Ex-servicemen & dependents of service personnel killed in action.

*****

…3/-

:_: www.staffnews.in :_:

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2434 FOR ANSWER ON 11.08.2025 REGARDING "PENSION AND JOB OPPORTUNITIES TO EX-SERVICEMEN".

Total population of Ex-servicemen in the country (State/UT wise details): -

Census Data of ESM as on 30.06.2024		
Sl. No.	**States/UTs**	**Total**
1.	Andhra Pradesh	78148
2.	Arunachal Pradesh	986
3.	Assam	41656
4.	Bihar	133526
5.	Chhattisgarh	7355
6.	Goa	2389
7.	Gujrat	33773
8.	Haryana	177771
9.	Himachal Pradesh	129656
10.	Jharkhand	30546
11.	Karnataka	94530
12.	Kerala	182368
13.	Madhya Pradesh	58464
14.	Maharashtra	201628
15.	Manipur	8744
16.	Meghalaya	3012
17.	Mizoram	5975
18.	Nagaland	3284
19.	Odisha	53025
20.	Punjab	382694

…4/-

:_: www.staffnews.in :_:

21.	Rajasthan	212415
22.	Sikkim	1094
23.	Tamil Nadu	123349
24.	Telangana	27853
25.	Tripura	2609
26.	Uttar Pradesh	426179
27.	Uttarakhand	139882
28.	West Bengal	107450
29.	Andaman & Nicobar (UT)	1123
30.	Chandigarh (UT)	8463
31.	Daman & Div and Dadra Nagar Haveli (UT)	0
32.	Delhi	63614
33.	Jammu & Kashmir	78592
34.	Lakshadweep (UT)	0
35.	Leh & Ladakh (UT)	6479
36.	Puducherry (UT)	2477
Total		**2831109**

*****

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2434

11 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पूर्व सैनिकों को पेंशन और नौकरी के अवसर

2434 श्री आर. गिरिराजन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में, पूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त पेंशन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पूर्व सैनिकों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष भर्ती शुरू की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख) सरकार तमिलनाडु सहित देश में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा नियम के अनुसार पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना वर्तमान पेंशन एवं समान रैंक पर और समान सेवा-अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दरों के बीच के अन्तर को कम करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सरकारी संगठनों, सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट भवनों, निजी क्षेत्रों, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों आदि में भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त मांग के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध के रूप में सलंग्न है।

(घ) सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) के सहयोग और तीनों सेना मुख्यालयों की सहायता से भूतपूर्व सैनिकों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करती है। यह नियोक्ता और संभावित उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा स्थल पर ही कौशल परीक्षा, साक्षात्कार और रोजगार प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' के पदों में 14.5 % रिक्तियों और समूह 'घ' के पदों में 24.5 % रिक्तियों का आरक्षण किया है। इसमें 4.5 % रिक्तियां नि:शक्त भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए शामिल हैं।

"पूर्व सैनिकों को पेंशन और नौकरी के अवसर" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा):-

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना के आंकड़े		
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
1.	आंध्रप्रदेश	78148
2.	अरुणाचल प्रदेश	986
3.	असम	41656
4.	बिहार	133526
5.	छत्तीसगढ़	7355
6.	गोवा	2389
7.	गुजरात	33773
8.	हरियाणा	177771
9.	हिमाचल प्रदेश	129656
10.	झारखंड	30546
11.	कर्नाटक	94530
12.	केरल	182368
13.	मध्य प्रदेश	58464
14.	महाराष्ट्र	201628
15.	मणिपुर	8744
16.	मेघालय	3012
17.	मिजोरम	5975
18.	नागालैंड	3284
19.	ओडिशा	53025
20.	पंजाब	382694
21.	राजस्थान	212415
22.	सिक्किम	1094
23.	तमिलनाडु	123349
24.	तेलंगाना	27853

25.	त्रिपुरा	2609
26.	उत्तर प्रदेश	426179
27.	उत्तराखंड	139882
28.	पश्चिम बंगाल	107450
29.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	1123
30.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	8463
31.	दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0
32.	दिल्ली	63614
33.	जम्मू और कश्मीर	78592
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	0
35.	लेह और लद्दाख(संघ राज्य क्षेत्र)	6479
36.	पुदुच्चेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	2477
कुल		**2831109**

****